राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः पं. 24(34)शिक्षा–6/2015 जयपुर, दिनांकः 20.10.2020

निदेशक,
संस्कृत शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के पदों का लेवल एवं विषय निर्धारण के क्रम में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक निसंशि/शैक्ष–2/पं.160/2020/2550 दिनांक 24.09.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के पदों का लेवल एवं विषय निर्धारण के क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्तावों में निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. वर्ष 2017 में आरटीई के प्रावधानानुसार भर्ती किए गए अध्यापकों का लेवल व विषय जिस पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, तदनुसार पद व विषय का निर्धारण रहेगा।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त शेष अध्यापकों का लेवल का निर्धारण निम्नानुसार होगा–
   (अ) बीएसटीसी के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षक का लेवल प्रथम रहेगा।
   (ब) बीएड/शिक्षा शास्त्री के आधार पर नियुक्त हुए शिक्षक का लेवल द्वितीय रहेगा।
   (स) बीएसीटीसी एवं बीएड/शिक्षा शास्त्री दोनों योग्यता धारक शिक्षक ने जिस योग्यता के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है, उसी आधार पर बिन्दु 2 (अ) एवं (ब) के अनुसार लेवल निर्धारित रहेगा।
3. **अध्यापक लेवल–I के शिक्षकों का विषय निर्धारण** –
   (अ)शिक्षक के नियुक्ति आदेश में अंकित विषय अध्यापक (संस्कृत/सामान्य) के अनुसार ही विषय रहेगा । इसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
   (ब) नियुक्ति आदेश में विषय का अंकन नही होने के स्थिति में नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता प्रवेशिका/उपाध्याय/वरिष्ठ उपाध्याय होने पर संस्कृत विषय तथा सैकण्डरी/हायर सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी होने पर सामान्य विषय माना जायेगा।

www.rajteachers.com

4. **अध्यापक लेवल–II के शिक्षको के विषय का निर्धारण –**

(अ) शिक्षक के नियुक्ति आदेश में अंकित विषय अध्यापक (संस्कृत / सामान्य) के अनुसार विषय का निर्धारण किया जायेगा, इसके अतिरिक्त अध्यापक (सामान्य) के विषय का निर्धारण सारणी के अनुसार होगा ।

(ब) नियुक्ति आदेश में विषय का अंकन नहीं होने के स्थिति में नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता शास्त्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य परम्परागत संस्कृत परीक्षा अन्य ऐच्छिक विषय सहित योग्यता धारी शिक्षक संस्कृत विषय का शिक्षक होगा ।

(स) बिन्दु संख्या 4 ब के अतिरिक्त लेवल II के अध्यापकों का विषय नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता के आधार पर सारणी के अनुसार निर्धारित किया जायेगा ।

सारणी

क्र.सं.	विषय	निर्धारित योग्यता
1.	गणित / विज्ञान	1. गणित– वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा और शिक्षा में डिग्री। 2. वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, जैवप्रौद्योगिकी विज्ञान और जैव–रसायन तथा शिक्षा में डिग्री ।
2.	अंग्रेजी	वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा और शिक्षा में डिग्री। सारणी के बिन्दु संख्या 1 को छोडकर।
3.	हिन्दी	वैकल्पिक विषय के रूप में संबंधित विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा और शिक्षा में डिग्री। सारणी के बिन्दु संख्या 1,2 को छोडकर।
4.	सामाजिक विज्ञान	वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित में से कम से कम दो विषयों के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा : इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शनशास्त्र तथा शिक्षा में डिग्री। बिन्दु संख्या 1,2 व 3को छोडकर।
5.	सामान्य	उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 04 के अलावा अन्य ऐच्छिक विषय होने पर।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

ह0

(आर.एन. शर्मा)
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : निसंशि / शैक्ष–2 / पं.160 / 2020 / 48378–585 दिनांकः 20.10.2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
2. प्रभारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार लेवल निर्धारण का कार्य सम्पादित कर शिक्षकों से दिनांक 26.10.2020 तक आपत्तियां प्राप्त करें। उक्त दिनांक तक प्राप्त आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार दिनांक 28.10.2020 तक किया जाकर अन्तिम स्थिति दिनांक 29.10.2020 को अपलोड कराना सुनिश्चित करावें।
3. समस्त संकुल प्रभारी, संस्कृत शिक्षा राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

20/10/2020

(डॉ0 दीरघराम रामस्नेही)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

www.rajteachers.com